

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. जिला गुडगांव      थाना एस.वी.बी      वर्ष 2016      प्र.सू.रि.स      19      दिनांक 08.09.2016  
2. अधिनियम      पी.सी एक्ट 49/88      धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं -----

(क) घटना का दिन बुधवार      दिनांक से दिनांक      08.09.2016  
(ख) थाने पर प्राप्त सूचना      दिनांक      08.09.2016      समय 04.50 पी.एम  
(ग) (रोजनामचा संदर्भ)      (प्राविष्टि संख्या)      08      समय 05.00 पी.एम

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थल का ब्योरा      (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) दक्षिण से पश्चिमलगभग 08 कि०मी०

(ख) पता:-

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- खेडकी दौला गुडगांव जिला गुडगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : अमरजीत      (ख) (पिता/पति का नाम) बरेलाल

(ग) (जन्म तिथि)      (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि)      (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय)      (पता) गांव शिव नगर थाना बेलदौर जिला खगरिया बिहार

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. ASI सतपाल,  
ट्रैफिक पुलिस गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक सत्यप्रकाश राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बदस्त EASI हरपाल न० 106/नारनौल बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबूत जैल है, "सेवा मे, श्रीमान DSP साहब, विजिलेंस गुडगांव श्रीमान जी निवेदन यह है कि मैं अमरजीत कुमार पुत्र श्री बैरवाल सिंह जाति कुशवाहा निवासी गाँव शिवनगर डाकखाना तैलयार पुलिस थाना बैलदोर जिला खगरिया (बिहार), हाल रिहायश मकान

सुरेन्द्र नजदीक शनि मन्दिर खेड़की दौला रहने वाला हूँ व सुनील निवासी शिकोहपुर प्रोपराईटर क्वालिटी कंकीट, आफिस गाँव सिही सिकन्दरपुर खेड़की रोड़ पर करीब 03 साल से कार्य करता हूँ। मेरे मालिक सुनील के पास लगभग 10 टाजिस्ट मिक्सचर गाड़ियाँ हैं। जिनका प्रतिदिन गुड़गाँव शहर में आवागमन है। जिनकी देखरेख मैं ही करता हूँ। जो सैक्टर - 56 की रैड लाईट बादशाहपुर पर ट्रैफिक का ए0 एस0 आई0 सतपाल जिसने पहले भी गाड़ियाँ बन्द करने की धमकी देकर मेरे से मंथली पैसे लिए जो मैंने डर की वजह से दे दिए। अब फिर मुझसे हमारी गाड़ियाँ बन्द करने की ऐवज में चार हजार रूपये मंथली मांग रहा है। मैं रिश्वत देना नहीं चाहता। बिना रिश्वत वह गाड़ियाँ नहीं चलने देता जिससे मेरी कोई निजि दुश्मनी या लेन देन नहीं है। जिसकी खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। हस्ता0 अग्रेजी अमरजीत S/o बरेलाल R/o शिव नगर बिहार हाल खेड़की दौला मोबाईल न0 9810849724 तिथी 08.09.16" कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक मय हाजिर कार्यालय SVB GGN हूँ कि मुदई अमरजीत उपरोक्त ने मुलाकि होकर एक लिखित दरखास्त मार्कशुदा DSP सहाब बाबत भ्रष्टाचार मन निरीक्षक को पेश की, जो मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी जिसमे, SI रामानन्द, SI देवदत्त, ASI महाबीर सिंह को शामिल करके मन निरीक्षक मय मुदई मय रैडिंग पार्टी मय तफतीशी बैग बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR-03L 4422 चालक EHC जोगेन्द्र सिंह के बराये अनुमति रैड व नियुक्ति डियुटी मजिस्ट्रेट रवाना उपायुक्त महोदय कार्यालय गुडगांव का होता हूँ। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा EASI हरपाल सिंह न0 106/नारनौल के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा न0 पर्चा से सूचित करके स्पेशल रिपोर्ट बजरिया स्पेशल मेसैन्जर अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे। हस्ता0- अग्रेजी सत्यप्रकाश निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव Dt. 08.09.16 AT 04:45PM अज- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 19 Dt. 08.09.2016 U/s 7 PC ACT PS SVB गुडगांव बर खिलाफ ASI सतपाल गुडगांव दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रथम सूचन रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट सहाब गुडगांव भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट सहाब गुडगांव बदस्त आरिन्दा EASI हरपाल सिंह 106/नारनौल भेजी जा रही है। असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने I/o के पास आरिन्दा EASI के हवाले की गई।

Attested  
Santya Parkash  
Insp.



हस्ता अग्रेजी/- रमेश कुमार

थाना प्रभारी का नाम

नाम : रमेश कुमार

पद : निरीक्षक

सख्यां : 22/G

दिनांक 08.09.16 AT 06.45 PM

m